न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– **61/2014**

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. अकबर अली
2. अली मोहम्मद
3. मुबारिक अली
4. शहजाद अली पुत्रगण मजीद जाति मुसलमान निवासी मालबमोरी तह0 मांगरोल जिला बारां राज.

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री पिंकेश जगरवाल, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 02.05.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 11 रकबा 0.45 है. किस्म माल II वाके ग्राम मालबमोरी तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014–2023 में खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 11 रकबा 0.45 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म माल II दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 2.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए [illegible] के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 6 की रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम मालबमोरी तह0 मांगरोल का आवंटन अप्रार्थीगण के दादा चांदशाह पुत्र हसन शाह जाति मुसलमान निवासी मालबमोरी तह0 मांगरोल के नाम हुआ था जिस पर अप्रार्थीगण के दादा काबिज काश्त थे तथा उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण के पिता तथा अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इस प्रकार पिछले 50 वर्षों से अप्रार्थीगण के दादा, पिता व अप्रार्थीगण स्वंय उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण के परिवार का पालन पोषण इसी आराजी से होता है। इसलिये उक्त रेफरेन्स कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3— उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की।

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

5— एकपक्षीय बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम मालबमोरी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य अप्रार्थीगण के दादा के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 11 रकबा 0.45 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म माल II दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण के दादा को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉं हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचि[illegible] अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जय[illegible] पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज [illegible] के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

6— हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के दादा को आवंटन/नियमन किया गया है।

7— उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट संवत 2044—63 नये खसरा नम्बर 11 रकबा 0.45 है. बने हैं। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम मालबमोरी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 0.26 है0 किस्म माल II, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां